

ज्ञापांक 4904 / वित्त

50-01-20-2012

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 26.11.12

लोकेश

ojh; i(fyl v/kh{kd] iVuk@x; kA
i(fyl v/kh{kd] vkjxkckn@ jkgrkl @tep@exj@dfej@
Hkkstij@ uoknk@ tgkukckn@ vjoy@ ekfrgkjhl hrke<h@
cxgk@cfr; k@, oa ukynk A

fo"K; %& , l 0vkj0bD ; kstuk ds rgr mxokn ftyka ea dk; jr i(fyl cy
ds fy, fo'k'k l eng thou chek djkus ds l c/k ea

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि एस0आर0ई0 योजना के तहत उग्रवाद जिलों में कार्यरत जिला पुलिस बल/बिहार सैन्य पुलिस/गृह रक्षा वाहिनी/सी0आर0पी0एफ0 एवं उग्रवाद विरोधी अभियान में उक्त वाहिनी अभियान में उक्त जिला में प्रतिनियुक्त एस0टी0एफ0 के जवानों सहित कुल 41,582 (एकतालीस हजार पांच सौ बेरासी) पदाधिकारियों/ कर्मियों का दिनांक-08.04.2011 से एक वर्ष के लिए दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0,पटना से विशेष समूह जीवन बीमा कराया गया है कर्तव्य के दौरान उग्रवादी घटना में मृत/घायल पदाधिकारी एवं कर्मियों को निम्न प्रकार से बीमा की राशि देय होगा:-

कर्तव्य पर मृत्यु हो जाने पर बीमा की पूर्ण राशि	स्थायी पूर्ण अपंगता (Permanent total disablement) अथवा दोनो पांव, दोनो हाथ या दोनों आंख, अथवा एक हाथ और एक पांव अथवा एक हाथ और एक आंख या एक पांव और एक आंख के बेकार हो जाने पर बीमा की पूर्ण राशि	एक हाथ या एक पांव या एक आंख के बेकार हो जाने पर बीमा की आधी राशि	जख्मी होने पर अस्पताल में इलाज कराने का खर्च वास्तविक खर्च	मृत्यु होने की स्थिति में उनके भाव का घर तक पहुँचाने का खर्च	मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता होने की स्थिति में संबंधित पुलिसकर्मियों के 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान
16.75 लाख	16.75 लाख	8.375 लाख	Actual upto Capital Sum Insured	2500/-	10,000 (पच्चीस वर्ष के नीचे के दो बच्चों के लिए)

Lfkk; h vkf'kd viærk gks tkus ij chfer jkf'k ifr'kr%

Nature of injury	Compensation in percentage of sum Assured	Nature of injury	Compensation in percentage of Sum assured
(i) Loss fo toes all	20	(vi) Loss of thumb-both phalanges	25
great both phalanges	05	one phalanges	10
great one phalanx	02	(vii) Loss of index finger	
other than great, if more	01	Three Phalanges or two	
than one toe lost , each		phalanges or One phalanx	10
(ii) Loss of hearing both ears	75	(viii) Loss of Middle finger	06
(iii) Loss of hearing one ear	30	Loss of Ring finger	05
(iv) Loss of four fingers and thumb		little finger	04
on one hand	40	3 or 2 phalanges or 1 phalanx	
(v) Loss of four fingers	35	(ix) Loss of metacarpals first or second	
		(additional)	03
		(x) Other permanent partial	
		Disablement-	% as assessed
			by the company
			panel Doctor

प्रत्येक जिले में बीमित पदाधिकारी/कर्मियों की संख्या की विवरणी संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि कर्तव्य के दौरान उग्रवादी घटना में मृत/घायल पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के बीमा राशि निकासी हेतु शाखा प्रबंधक, दि न्यू0 इंडिया एश्योरेंस कं0 कृपया बीमा की राशि के भुगतान हेतु निम्नलिखित वांछित सभी अभिप्रमाणित अभिलेख प्रस्ताव के साथ एक सप्ताह के अंदर शाखा प्रबंधक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे:-

- 1- Immedaite intimation to the policy issuing office.
- 2- Duly completed claim form (Blank forms will be supplied by the insurance company).
- 3- Death Certificate form the competent authority.
- 4- Psot moterm report by the Government Doctor/Hospital.
- 5- Certified copy of F.I.R.

- 6- Disability Certificate issued by the Medical Board of the Government (Incase permanent partial Disability(PPD) Permanent Total Disability (PDT) Claim).
- 7- Recent Photographs of the insured showing the extent of disability.
- 8- Prescriptions, Pathological Reports Bills./ Cash Memos. Discharge Certificate from the Hospital (in case of medial/Hospitalization Claim).
- 9- Documents confirming the deployment fo the person in the stipulated district for whom the claim is lodged.

ह/—

पुलिस उप—महानिरीक्षक(प्रोविजन)
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि—1. सभी संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप—महानिरीक्षक सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. भाखा प्रबंधक दि न्यू0 इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0 गोविन्द भवन, दूसरी मंजित न्यू डाक बंगला रोड पटना—800001(दूरभाश -0612-2220863, फ़ैक्स— 0612 2222989) को सूचनार्थ। कृपया बीमा प्रस्ताव से संबंधित सभी औपचारिकता एक सप्ताह में पूरी करवा कर बीमा की राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्राप्त करायेंगे और इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देने का कष्ट करेंगे।

ह/—

पुलिस उप—महानिरीक्षक(प्रोविजन)
बिहार, पटना।